41–(08)–106–2020

पटना में दिनांक–27 फरवरी, 2020 वृहस्पतिवार को अपराह्न 05:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये:–

	सामान्य प्रशासन विभाग	
1.	"बिहार लोकायुक्त (अन्वेषण) नियमावली, 2013" के नियम–4 एवं नियम–6 में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।	1. **स्वीकृत।**
	वित्त विभाग	
2.	संविधान के अनुच्छेद–151 (2) के अधीन महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति की अनुशंसा प्राप्त कर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष 2017–18 का प्रतिवेदन "राज्य का वित्त" एवं "राजस्व प्रक्षेत्र" को बिहार विधान मंडल के आगामी सत्र में सदन के पटल पर रखे जाने के संबंध में।	2. **स्वीकृत।**
	सामान्य प्रशासन विभाग	
3.	श्री रंजीत प्रसाद सिंह, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 505/11, तत्कालीन अपर समाहर्त्ता–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया सम्प्रति निलंबित (काराधीन) को सेवा से बर्खास्त किये जाने के संबंध में।	3. **स्वीकृत।**
	जल संसाधन विभाग	
4.	वित्तीय वर्ष 2019–20 में कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के समुचित प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं नियंत्रण हेतु जल संसाधन विभाग के प्रशासी नियंत्रणाधीन स्वशासी निकाय जल एवं भूमि प्रबन्धन संस्थान (वाल्मी), फुलवारीशरीफ, पटना के अन्तर्गत स्वीकृत कुल 835 पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थापना व्यय हेतु उपबंधित राशि रू० 4700.00 लाख (सैतालीस करोड़ रूपये मात्र) सहाय्य अनुदान के रूप में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), फुलवारीशरीफ, पटना को उपलब्ध कराने निमित्त प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।	4. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

5. पूर्ववर्ती कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरणों/एजेन्सी (काडा) के कर्मियों जिनका विलय/समायोजन जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रशासी नियंत्रणाधीन स्वशासी निकाय जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), फुलवारीशरीफ, पटना के अन्तर्गत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विभिन्न कोटि के कुल 835 नवसृजित पदों के विरूद्ध किया गया है को विलय/समायोजन के प्रभाव की तिथि दिनांक– 01.09.2018 से संलग्न परिशिष्ट–II के अनुरूप सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ अनुमान्य करने की स्वीकृति।

5. **स्वीकृत।**

ग्रामीण कार्य विभाग

6. तत्कालीन राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम में दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत 13 (तेरह) अवशेष डिग्रीधारी कनीय अभियंताओं की सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर पथ निर्माण विभाग द्वारा की गई तदर्थ नियुक्ति को समायोजन के आधार पर नियमित नियुक्ति में परिणत करने की स्वीकृति के संबंध में।

6. **स्वीकृत।**

ग्रामीण कार्य विभाग

7. श्री मिथिलेश कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल, दरभंगा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14(xi) के तहत तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त, जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में।

7. **स्वीकृत।**

ग्रामीण कार्य विभाग

8. श्री ओम प्रकाश मांझी, तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीवान को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्त जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में।

8. **स्वीकृत।**

भवन निर्माण विभाग

9. भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत GATE Score के आधार पर संविदा नियोजित कुल 23 (तेईस) सहायक विद्युत अभियंता एवं कुल 06 (छः) सहायक अभियंता (यांत्रिक) की नियोजन अवधि को अगले 01 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति।

9. **स्वीकृत।**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

10. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत पूँजीगत व्यय (राज्य योजना) मद में पेयजल नमूनों की जाँच हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक–164 दिनांक–27.03.2000 एवं स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक–343 दिनांक–31.03.2001 द्वारा कुल–33(तैतीस) जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं में सृजित 33 शोध सहायक (रसायनज्ञ) एवं 33 प्रयोगशाला सहायक अर्थात कुल–66 अस्थायी पदों जिसे विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक–653 दिनांक–26.06.2009 द्वारा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना) मद में स्थानान्तरित किया गया है एवं समय–समय पर अवधि विस्तार किया जाता रहा है तथा भविष्य में भी अनिश्चित काल तक बने रहने की पूर्ण संभावना है, को अनुमानित वार्षिक व्यय–₹64598688/– (छः करोड़ पैतालीस लाख अंठानवे हजार छः सौ अठासी रूपये) मात्र के व्यय पर पदों के स्थायीकरण के प्रस्ताव की स्वीकृति।

10. **स्वीकृत।**

निगरानी विभाग

11. भ्रष्टाचार मिटाने के लिए घूसखोरों को पकड़वाने वाले व्यक्ति को ईनाम/पुरस्कार दिये जाने के संबंध में।

11. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

12. श्रीमती रोजी रानी, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित, निलंबन अवधि का मुख्यालय–प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय–तिरहुत प्रमण्डल मुजफ्फरपुर को "सेवा से बर्खास्त" की शास्ति की स्वीकृति के संबंध में।

12. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

13. वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम मद से 947 नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण एवं प्रत्येक विद्यालय में दो इकाई शौचालय तथा एक इकाई चापाकल के निर्माण हेतु ₹1,91,39,84,438/–(एक अरब एकान्बे करोड़ उनचालीस लाख चौरासी हजार चार सौ अड़तीस रूपये) के व्यय की स्वीकृति एवं तत्काल ₹98,00,00,000/–(अंठानवे करोड़ रूपये) की विमुक्ति।

13. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

14. श्रीमती प्रतिभा कुमारी (बिहार शिक्षा सेवा), वरीय कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना की नियुक्ति अनियमित पाये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14(X)–सह–पठित–(संशोधन) नियमावली 2007 के नियम– 14(xi) के तहत "सेवा से बर्खास्त" करने का प्रस्ताव।

14. **स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

16. माननीय मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री के निजी कर्मियों को मंत्रिगण के साथ यात्रा करने पर विभागीय संकल्प संख्या–122, दिनांक–26.03.2013 में प्रावधानित वर्त्तमान अधिसीमा को समाप्त करने तथा माननीय मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री के निजी कर्मी के अन्य यात्रा विपत्रों के भुगतान पर अधिसीमा रू० 3,00,000/– (तीन लाख) यथावत रखने के संबंध में।

16. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

17. पटना मेट्रो रेल परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु गठित पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यों के समुचित निर्वहन हेतु 17,28,57,168/–(सतरह करोड़ अठाईस लाख संतावन हजार एक सौ अड़सठ) रूपये के अनुमानित वार्षिक व्यय पर कुल 188 (एक सौ अठासी) पदों के सृजन एवं तकनीकी एडवाईजरी पैनल इत्यादि की स्वीकृति के संबंध में।

17. **स्वीकृत।**